



# JHARKHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(Science and Technology Campus)

Sirkha Toli, Namkum, Ranchi- 834010 (Jharkhand)

(Website- [www.jutranchi.ac.in](http://www.jutranchi.ac.in) : Email Id-[jut.academicsection@gmail.com](mailto:jut.academicsection@gmail.com))

पत्रांक:- JUT-118/2025/Affiliation/ 1098

/रॉची, दिनांक:- 09/09/2025

सेवा में,

**The Director/Principal,**  
Silli Polytechnic, Silli

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु संस्थान में संचालित डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर अभियंत्रण/गैर-अभियंत्रण पाठ्यक्रम के औपबंधिक संबद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर अभियंत्रण/गैर-अभियंत्रण पाठ्यक्रमके संचालन हेतु AICTE, New Delhi से प्राप्त EoA/LoA तथा विश्वविद्यालय के संबद्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में आपके संस्थान को AICTE, New Delhi द्वारा निर्गत EoA/LoA में अंकित पाठ्यक्रमों (निर्धारित शाखाओं के सीट संख्या सहित) क्रमशः (Diploma – Civil Engg-120, CSE-60, Electrical Engg-90, ECE-30, Mechanical Engg-120 के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन औपबंधिक नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घाकरण प्रदान किया जाता है:-

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. AICTE/UGC/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी छात्र शिक्षक अनुपात, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करना एवं निर्धारित अर्हता अनुसार शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित नामांकन शुल्क आदि Digitally प्राप्त किये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय द्वारा तैयार नये Syllabus को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयोगशाला/कर्मशाला में सभी आवश्यक मशीन उपकरण, सॉफ्टवेयर एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।
5. पाठ्यक्रम संचालन हेतु AICTE द्वारा निर्धारित मानक (Norms) अनुसार आवश्यक Infrastructure तथा Facilities में जो भी त्रुटि/कमियाँ हैं, उसे हर हाल में तीन से छः माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाय।
6. AICTE के APH – 2024-25 में अंकित संस्थान स्तर पर गठित होने वाले सभी प्रकार के समिति/बोर्ड/स्क्वायड आदि के गठन संबंधित पत्रों को संस्थान के Website पर डाला जाय एवं इसे समय-समय पर Update किया जाय।
7. विगत वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट संस्थान के Website पर रखा जाय। पुस्तकालय/प्रयोगशाला/कर्मशाला के मशीन उपकरण के क्रय, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी आदि के भुगतान, संस्थान के भवन एवं परिसर के विकास एवं रख-रखाव आदि पर किये गये गत वर्ष के व्यय का सरांश तथा उससे संबंधित सभी प्रकार का अभिलेख संस्थान स्तर पर संधारित किया जायेगा ताकि उसे माँगे जाने पर तत्क्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

विश्वविद्यालय की टीम आवश्यकतानुसार किसी भी समय संस्थान का औचक निरीक्षण कर सकती है। प्रतिकूल निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति में विश्वविद्यालय अपने प्रदत्त औपबंधिक नव संबद्धन/संबद्धन दीर्घाकरण पर पुर्नविचार कर समुचित निर्णय ले सकता है।

कृपया.....

अनुरोध है कि संबद्धता शुल्क की राशि निम्नवत् तालिका में दर्शाये गये प्रति Programme अथवा पाठ्यक्रम के अनुरूप डिमान्ड ड्राफ्ट Payable at Ranchi के नाम से पत्र निर्गत के 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाय।

Sl. No.	Name of Course	Amount (Rs.)	Remarks
1.	Diploma	1,00,000.00	
<b>Total Amount</b>		<b>1,00,000.00</b>	

विश्वासभाजन

*Nishat Khatun*

कुलसचिव (प्र०), 9/9/22  
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
नामकुम, राँची।